न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

प्र0नं0 95/2022

तारीख फैसला 13.08.2022

उनवान

1– राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजू आत्मज रामपाल जी जाति मीणा निवासी रतनपुरा बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बावत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 101 नया, 85 पुराना में खसरा नम्बर 1626/984 की 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 430 की 0.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 431 की 0.49 हेक्टर कुल तीन किता की 1.41 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है।

यह कि उक्त भरूमि वादी व अन्य सहखातेदार भ्राता व बहिन के वारिसान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी व अन्य सहखातेदार का समान हिस्सा दर्ज है। पूर्व में उक्त भूमि वादी के पिता रामपाल जी के खाते में दर्ज चली आ रही थी, उनकी मृत्यु के बाद वादी को व अन्य वारिसान को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई है। जिसमें वादी का 1/7 हिस्सा है। जिसमें वादी का नाम राजू अंकित है।

यह कि वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद है ओर वादी के आधार कार्ड , वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड व जन आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद अंकित है। किन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सहवन से घर का बोलता नाम राजू अंकित हो गया है जो गलत है। जिसके कारण वादी को खाद बीज आदि लेने में काफी परेशानी हो रही है। इस कारण रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 101 नया, 85 पुराना में खसरा नम्बर 1626/984 की 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 430 की 0.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 431 की 0.49 हेक्टर कुल तीन किता की 1.41 हेक्टर भूमि में वादी का नाम राजू पुत्र रामपाल के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामपाल दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner

किये जाने और राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में राजू पुत्र रामपाल एवं राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामपाल एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 101 नया, 85 पुराना में खसरा नम्बर 1626/984 की 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 430 की 0.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 431 की 0.49 हेक्टर कुल तीन किता की 1.41 हेक्टर भूमि में वादी का नाम राजू पुत्र रामपाल के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजू आत्मज रामपाल जी जाति मीणा निवासी रतनपुरा बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नं 95/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 101 नया, 85 पुराना में खसरा नम्बर 1626/984 की 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 430 की 0.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 431 की 0.49 हेक्टर कुल तीन किता की 1.41 हेक्टर भूमि में वादी का नाम राजू पुत्र रामपाल के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 13.08.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	0

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान		0

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner